मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रमांक एफ 5-3/2016/41-2 भोपाल, दिनांक 02 मार्च, 2016

प्रति,

1 अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
समस्त विभाग।

2 समस्त विभागाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

3 जिला कलेक्टर,
समस्त, मध्यप्रदेश।

4 समस्त निगम मंडल

विषय:-मध्यप्रदेश स्टेट स्पेशियल डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर (MPSSDI) परियोजनान्तर्गत विभागीय GIS (जीआईएस) डाटा समेकित करने के संबंध में।

संदर्भ:-इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 27-2-2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदिर्भत पत्र का अवलोकन करें। जिसके द्वारा मध्यप्रदेश स्टेट स्पेशियल डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर (MPSSDI) परियोजनान्तर्गत विभागों/उपक्रमों/संस्थाओं के सृजित डाटा को समेकित किया जाकर साझा किये के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये है।

स्टेट स्पेशियल डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर (SSDI) नीति अनुसार परियोजना का शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वयन किया जाना है। अतः सृजित GIS डाटा को समेकित करने के संबंध में कृपया आपके विभाग अन्तर्गत ~~अपर~~ संयुक्त संचालक/ उप संचालक स्तर के अधिकारी को एकल संपर्क सूत्र (Single point of contact) नियुक्त कर विभाग को अवगत कराने का कष्ट करे, ताकि उनसे नियमित संपर्क सुनिश्चित कर GIS डाटा को साझा किये जाने संबंधी कार्यवाही की जा सके।

ACEO
T.G(O.S.D)

(मनीष रस्तोगी)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

क्रमांक एफ 5-3/2016/41-2 भोपाल, दिनांक 02 मार्च, 2016

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश एजेन्सी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्फारमेशन टेक्नालाजी, स्टेट आई.टी; सेन्टर, अरेरा हिल्स भोपाल।
3. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. विन्ध्याचल भवन, भोपाल।

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मध्यप्रदेश शासन

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रमांक एफ 5-3/2016/41-2 भोपाल, 27 फरवरी, 2016

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
समस्त विभाग।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।
3. जिला कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषय:-मध्यप्रदेश स्टेट स्पेशियल डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर (MPSSDI) परियोजनांतर्गत विभागीय GIS (जीआईएस) डाटा समेकित करने के संबंध में।

प्रदेश की भौगोलिक संदर्भ सूचनाओं (Geographically Referenced) /आंकड़ों को एकत्र करने, उनका प्रबंधन/विश्लेषण और प्रदर्शित करने के उद्देश्य से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के आदेश क्र. एफ 9-1/2010/56 दिनांक 14 अक्टूबर 2014 द्वारा राज्य की स्पेशल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर नीति-2014 (MPSSDI Policy-2014) जारी की गई है (संलग्न)। इसके पूर्व विभाग द्वारा क्रियान्वित जीआईएस परियोजना के लिए सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन, परियोजनाओं के अनुश्रवण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति (अपेक्स कमेटी) की दिनांक 05.10.2012 को आयोजित बैठक में प्रदेश में GIS (Geographical Information System) लैब स्थापित करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (वर्तमान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग) को नोडल विभाग नामांकित किया गया है।

2- प्रदेश की स्पेशिल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर नीति-2014 के प्रावधानों के अनुरूप राज्य शासन अंतर्गत किसी भी संस्था द्वारा निर्मित GIS डाटा का लाभ अन्य शासकीय परियोजनाओं के लिए भी प्राप्त हो सके, इस उद्धेश्य से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अन्तर्गत MAP_IT द्वारा MPSSDI परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। MPSSDI परियोजना के पूर्ण क्रियान्वयन के पश्चात् किसी भी विभाग तथा शासकीय उपक्रम /